(२५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 2527–दो/13 विरू; आदेश दिनांक 10.6.13 पारित द्वारा तहसीलदार, राजनगर प्रकरण कमांक 06/अ–6/11–12.

———

श्रीमती कुसुम राजे वेवा बहादुर सिंह
निवासी लखरावन तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

सरदार सिंह तनय भुजबल सिंह
निवासी लखरावन तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री एस. के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदक.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/2/17 को पारित)

.....

यह निगरानी तहसीलदार, राजनगर के प्रकरण कमांक 06/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिकनांक 10.6.13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई । आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 14 का आवेदन मय दस्तावेजों के पेश किया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन आलोच्य आदेश द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया है तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर त्रुटि की है कि आवेदन अवधि बाह्य है जबकि उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उक्त दस्तावेज आवेदक को कब प्राप्त हुए थे । मिशन अस्पताल का प्रमाणपत्र उन्हें 6–4–13 को प्राप्त हुआ इसी प्रकार बैनामा दिनांक 13–1–77 उन्हें 6.9.12 को प्राप्त हुआ है । आवेदिका पढ़ी लिखी नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को समयसीमा में मान्य करना चाहिए था जिसे न मानकर तहसीलदार ने कानूनी भूल की है ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 26–3–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उस दिनांक को प्रकरण शेष साक्ष्य एवं तर्क हेतु नियत किया गया था । इसके बाद दिनांक 29.4.13 तक जब आवेदिका ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए प्रकरण में और कार्यवाही नहीं हुई अर्थात आवेदिका का साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त नहीं हुआ था अतः उन्हें विलम्बित नहीं माना जा सकता । वैसे भी जो साक्ष्य प्रयकरण में विवाद के उचित न्यायनिर्णयन के लिए आवश्ययक हो उन्हें तो अपीलीय स्तर पर भी स्वीकार किया जा सकता है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार ने आवेदिका का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–4–13 निरस्त किया जाकर तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को वह अभिलेख पर लेवें तथा अनावेदक पक्ष को भी इन दस्तावेजों का खंडन (Rebuttal) करने का अवसर देते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर